विद्युत सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०,
एस०एल०डी०सी०परिसर(निकट मंत्री आवास),
विभूति खण्ड,फेज़–2, गोमती नगर
लखनऊ–226010

(विज्ञापन सं० 02–विसेआ/2017)

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के अधीन सीधी भर्ती के निम्न रिक्त पदों (सामान्य चयन एवं विभागीय कार्मिकों से चयन) पर चयन हेतु उ०प्र०पावर कॉरपोरेशन से प्राप्त अधियाचन के अनुपालन में प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से चयन सम्पादित करने हेतु **निर्धारित अर्हता रखने वाले** भारतीय नागरिकों से आवेदन **ऑनलाइन माध्यम** के द्वारा आमंत्रित हैं। **अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

क्रम सं0	पद कोड	पदनाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जन–जाति	वेतनमान	
								वेतनमान	ग्रेड–पे
1	25	अपर निजी सचिव (ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY)	13	10	02	01	00	9300-34800	4800
2	25-D	अपर निजी सचिव (विभागीय) ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY (DEPT.)	06	04	01	01	00	9300-34800	4800
3	16	सहायक समीक्षा अधिकारी (ASSISTANT REVIEWING OFFICER)	61	37	18	06	00	9300-34800	4200

उपरिवर्णित सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा एक ही दिन एक निर्धारित समय पर साथ–साथ सम्पन्न करायी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु अर्हता रखता है, तो भी वह स्वेच्छानुसार एक ही पद हेतु आवेदन करे। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 के पास सुरक्षित है।

सभी पदों हेतु सामान्य अर्हतायें

(i)	राष्ट्रीयता	सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :– (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्यॉमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (Migrate) किया हो: प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका हो: प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।
(ii)	आयु	दिनांक 01.07.2017 को न्यूनतम – 21 वर्ष दिनांक 01.07.2017 को अधिकतम –40 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध केवल ऐसे पदों के लिये लागू होगा जो वाह्य अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किये जायेंगे)
(iii)	चरित्र प्रमाण पत्र	(क) नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा लें परन्तु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिये न छोड़ा

ESCUPPCL विद्युत सेवा आयोग सचिव 2017 उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०

28.7.17

		जाये । सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी। (ख) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ग) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
(iv)	स्वस्थता प्रमाण पत्र	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(v)	वैवाहिक स्थिति	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

नोट—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नही होंगे।

पदवार अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया

(1)- अपर निजी सचिव (पद कोड–25) एवं अपर निजी सचिव (पद कोड–25-D)(विभागीय):–

¤ **अनिवार्य अर्हतायें :(क)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

¤ **चयन प्रक्रिया** :

(क) लिखित एवं दक्षता परीक्षा : चयन लिखित, टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग :– (1) इस भाग में NIELIT के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में **कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य** होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

द्वितीय भाग :– इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन	40	40
तार्किक ज्ञान	40	40
सामान्य हिन्दी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	60	60
सामान्य अंग्रेजी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	60	60
	कुल अंक	**200**

तृतीय भाग:–

ESCUPPCL ★ विद्युत सेवा आयोग ★ सचिव 2017 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

- उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्ही भी परिस्थियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।
- **आशुलेखन एवं हिन्दी टंकण परीक्षा के मानक निम्नवत् होगें:–**

(1) आशुलेखन परीक्षा :– हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिये दिये जाने वाले श्रुतलेख (Dictation) हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 5 मिनट की अवधि में दिये गये श्रुतलेख (Dictation) के कम्प्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार इस 35 मिनट की अवधि में लिये गये श्रुतलेख एवं किये गये टंकण के आधार पर आशुलेखन गति का निर्धारण किया जायेगा।

(2) टंकण परीक्षा :– (i) **हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में** टंकण की परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फॉन्ट में ली जायेगी।

(ii) टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिबन्धः– चयन हेतु आशुलेखन में **80 शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण में 40–40 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात आशुलेखन एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

विशेषः– (1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

(3) परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

(2) सहायक समीक्षा अधिकारी(पद कोड -16) :–

¤ **अनिवार्य अर्हतायें :**

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि ।

(ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

¤ चयन प्रक्रिया :

(क) लिखित एवं टंकण परीक्षा : लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग :– (1) इस भाग में NIELIT के "O" स्तर के कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में **कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य** होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

द्वितीय भाग :– इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं	20	20
तार्किक ज्ञान	40	40
सामान्य हिन्दी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	70	70
सामान्य अंग्रेजी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	70	70
	कुल अंक	**200**

ESCUPPCL विद्युत सेवा आयोग सचिव 2017 उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0

तृतीय भागः–

- उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्ही भी परिस्थियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।
- **टंकण हेतु** अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।
- हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फॉन्ट में ली जायेगी।
- चयन हेतु हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रकिया से बाहर हो जायेंगे।

विशेषः– (1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

(3) परीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

(3)- अनिवार्य अर्हतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :–

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थियों को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता साबित होने अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नही हो जायेगा।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता सम्बन्धी निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र /आवेदित आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति दक्षता परीक्षा के समय जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा(टंकण/आशुलेखन) को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों की जॉच की जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित हे।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा ।

(घ) अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा। अभिलेखों के जॉच के समय नवीनतम निवास प्रमाण पत्र (अप्रैल 2014 के पश्चात का)/अन्य पिछड़ा वर्ग (नान–कीमीलेयर) प्रमाण पत्र (अप्रैल 2017 के पश्चात का)/अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी) प्रस्तुत करना होगा।

(4)आयु में अनुमन्य छूट : (क) अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी। (ग) विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

(5) **आरक्षण :– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण उ०प्र०शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी होने वाले, कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों मे निहित प्राविधानों के अनुसार लागू होगें।** अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को नियमानुसार रिक्तियों का 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। (ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को नियमानुसार रिक्तियों का 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार रिक्तियों का 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

ESCUPPCL विद्युत सेवा आयोग सचिव 2017 उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०

सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हेतु केवल विकलांगता श्रेणी OA/OL/PB/PD ही मान्य होगा । **आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उ0प्र0 के मूल निवासी नहीं है, सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।**

(6) <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u> : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(7) <u>आवेदन शुल्क</u> : सभी पदों के लिये आवेदन शुल्क सामान्य एवं 'अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन–क्रीमीलेयर) 'के अभ्यर्थी हेतु रु० 900/– तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु रु० 600/– देय है। विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा केवल प्रक्रमण शुल्क रु० 10/– देय है।

(8)<u>आवेदन कैसे करें</u> : वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO.-02–विसेआ/2017" पर क्लिक करें तथा नये वेबपेज पर How to Apply पर क्लिक कर प्रक्रिया को समझे।

(9)<u>प्रवेश पत्र</u> : लिखित परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई–मेल पर उपलब्ध कराया जायेगा।

आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु **esc.helpdesk1416@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

विवरण	तिथि
ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं आवेदन शुल्क जमा की तिथियाँ	25.07.2017 से 17.08.2017
सम्भावित लिखित परीक्षा तिथि	सितम्बर 2017 के द्वितीय पक्ष

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

सं0 806/विसेआ/02–विसेआ–2017 दिनांकःजुलाई 20 ,2017

ESCUPPCL ★ विद्युत सेवा आयोग ★ ESCUPPCL ★ उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 ★ सचिव 2017

20.7.17